तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 202/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/348) बअनवान सीतादेवी के का.मु. भंवरलाल व अन्य बनाम बजरंगलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

सीतादेवी के कायम मुकाम भंवरलाल व अन्य

बनाम

बजरंगलाल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री एन.के. दाधिच अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14

आदेश

दिनांक 22.01.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 264/2022 अनवान बजरंगलाल बनाम सीता देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 123, 124, 148, 149, 150, 151 व 308 ग्राम सरगियाकलां अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स का 3/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटस संख्या एक व दो के पिता/पति का 1/4 हिस्सा हिस्सा ही है। अपीलांट्स की ओर से नामांतरकरण संख्या 71 जो अकेले रामसुख के नाम से भरा गया था, को चुनौती दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर मामला तहसीलदार भोपालगढ को पुनः निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। रेस्पो. द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश चाहा, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझा। रेस्पोडेंट्स द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निषेधाज्ञा जारी करवा दी। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिविरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जुलाई 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.09.2022 को अपीलाधीन आदेश के जरिये कंफर्म किया गया है। विचारण न्यायालय में वक्त सुनवाई उपस्थिति स्परूप उभय पक्ष के अधिवक्तागण के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तेक्षप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 202/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/348) बअनवान सीतादेवी के का.मु. भंवरलाल व अन्य बनाम बजरंगलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 264/2022 अनवान बजरंगलाल बनाम सीता देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	